सं. वर्ष ...129/2013

अनुवान मुकदमा   मोतीराम v/s चैनाराम

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
6.10.21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। तहसीलदार डेगाना ने पत्र क्रमांक/भू-अ०/बंटवाड़ा/2021/3507 दि० 1.10.21 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो शामिल रहे। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्ष माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव बंटवाड़ा स्वीकृत करने पर सहमत है। वादी मोतीराम दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 RTAct प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम गोठी करणा के खा०नं० 43, 90 एवं ग्राम पुन्दलोता के खा०नं० 330 का बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में दिनांक 2.9.21 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार डेगाना को आदेशित किया गया कि विवादित भूमि का पक्षकार वादी मोतीराम व प्रतिवादी सं० 1 चैनाराम को विधिवत सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 के 1/2-1/2 हिस्से के बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माफिक आदेश तहसीलदार डेगाना ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बंटवाड़ा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के खा०नं० परिवर्तित हो चुका है। राजस्व ग्राम गोठी करणा के खा०नं० 43, 90 के नये खा०नं० 100, 252 व ग्राम ~~[illegible]~~ पुन्दलोता के खा०नं० 330 के नये खा०नं० 602 स्थापित हो चुके हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गोठी करणा के नये खा०नं० 100 कुल रकबा 6.39 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं० 1 चैनाराम के दक्षिणी दिशा में रकबा 3.1950 है० व वादी मोतीराम के उत्तरी दिशा में रकबा 3.1950 है० xx Continue--	

अनुवान मुकदमा मोतीराम V/s. चैनाराम सं. वर्ष ...

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम
	बंट में रखा है। इसी प्रकार ख०नं० 252 रकबा 6.7100 है० में से प्रतिवादी सं०। चैनाराम के दक्षिणी दिशा में रकबा 3.1950 है० व वादी मोतीराम के उत्तरी दिशा में रकबा 3.5150 हैक्टेयर भूमि बंट में रखी है। इसी प्रकार ग्राम पुन्दलोता के ख०नं० 602 ~~रकबा रकबा रक~~ रकबा 2.5900 है० में से प्रतिवादी सं०। चैनाराम के रकबा 1.2950 है० दक्षिण दिशा में तथा वादी मोतीराम के रकबा 1.2950 है० उत्तर दिशा में बंट में रखी है। वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किये है। चूंकि वादी व प्रतिवादी सं०। ~~उक्त~~ वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड खातेदार है तथा इन्हे अपनी खातेदारी भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने का अधिकार है। एवं उभय पक्ष माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव बंटवाड़ा स्वीकृत किये जाने पर सहमत हैं। उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी सहमति अनुसार (डिक्री) किया जाना उचित है। अत: वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम गोरेडी करणा के ख०नं० 100 रकबा 6.3900 है०, ख०नं० 252 रकबा 6.7100 है० एवं राजस्व ग्राम पुन्दलोता के ख०नं० 602 रकबा 2.5900 है० भूमि का वादी मोतीराम व प्रतिवादी सं०। चैनाराम के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अलग-अलग खसरा, रकबा, लगान कायम किये जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव Continuexxx- [signature] सहायक ... एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	

अनुवान मुकदमा मोतीराम V/S. चैनाराम सं. वर्ष 129/2013

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादी जस्सूदेवी पुत्री रामदीन ग्राम कुन्डेलोता के ख० नं० 602 रकबा 2.5900 हे० भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदार दर्ज है तथा उक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक त्याग कर रही है। अतः उक्त 1/3 हिस्से की भूमि के हक त्याग हेतु नियमानुसार स्टाम्प व बैरवाड़ा स्टाम्प पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं पदेन [illegible] अधिकारी डेगाना (नागौर)	

Scanned by CamScanner